राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग--3)

क्रमांक एफ 10 (8)ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2010 जयपुर, दिनांक 26 MAR 2010

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों के संबंध में।
प्रसंग:– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.02.10 एवं 12.03.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग के आदेश 12.03.10 के द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रथम चरण के 6 जिलों में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक के पद की अवधि आगे नहीं बढाई गई है। इन पदों पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के अनुभव को देखते हुए यदि उनका कार्य संतोषजनक है तो इन कार्मिकों को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अथवा ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद पर संविदा आधार पर अनुबंधित कर लिया जावे। उक्त निर्देशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कनिष्ठ लिपिक को निर्धारित पद की योग्यता / पात्रता के आधार पर एवं रिक्तता के आधार पर प्राथमिकता से लगाया जावे।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. समस्त अति. जिला कार्यक्रम समनवयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राजस्थान)।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय